न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0
पीठासीन अधिकारी : महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र सं0 80 / 2023
निर्णय दिनांक : 08-10-2025
उनवान

1. जगमाल पुत्र श्री रामदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम डुढारिया तह0 बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रीतम कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति सुनार निवासी डुढारिया तह0 बहरोड
2. पवन कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति सुनार निवासी डुढारिया तह0 बहरोड
3. राजकुमारी पत्नी हरीसिंह जाति अहीर निवासी महेन्द्रगढ हरि0
4. सुनीता पत्नी राजवीर जाति अहीर निवासी महेन्द्रगढ हरि0
5. भूमीधारी तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतल–बहरोड राज0

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0 अभिधृति अधिनियम 1955

उपस्थिती :–

श्री हिम्मतसिंह आर्य योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
श्री जितेन्द्र सामरिया योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से

।। निर्णय ।।

पत्रावली सुनवाई हेतु पेश हुई प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज0 अभिधृति अधि0 के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 1356 रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम पीपली तह0 नीमराना मे स्थित है जो मिन प्रार्थी के हिस्से मे आयी हुई है जिस पर मिन प्रार्थी काबिज रहकर काश्त करता हूॅ तथा उक्त खसरा नम्बर से लगती हुई तरफ दक्षिण मे अप्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 1361 स्थित वाके ग्राम पीपली तह0 नीमराना स्थित है। गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1361/1416 वाके ग्राम पीपली से उत्तर मे लगता हुआ अप्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 1361 मे से पूर्वी डोल के सहारे–सहारे 20 फुट चौडा रास्ता मिन प्रार्थी के हिस्से का खसरा नम्बर 1356 मे कृषि हेतु आने जाने हेतु कदीम से चला आ रहा है। मिन वादी उक्त रास्ता से अपने हिस्से के खेत खसरा नम्बर 1356 पर पैदल आता–जाता हूॅ तथा ट्रेक्टर ट्राली व ट्रेक्टर हल सहित अपने खेत पर कृषि हेतु आता जाता हूॅ तथा अपने खेत पर से कृषि उपज इसी रास्ता से ट्रेक्टर ट्रोली मे भरकर व उँटगाडी मे भरकर अपने खेत से घर पर ले जाता हूॅ। आज तक अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थी को अपने खेत पर इस रास्ता से होकर आने जाने मे किसी प्रकार से रूकावट पैदा नही की है ना ही कभी रास्ता को अवरूद्ध किया गया है रास्ता की जगह को छोडकर ही अप्रार्थीगण अपने खेत पर जोत लगाते है व बिजाई करते रहे है। दिनांक 03.10.2023 को अप्रार्थीगण द्वारा उनके खसरा नम्बर 1361 मे से पुर्व की डोल के सहारे–सहारे मिन प्रार्थी के हिस्से के खसरा नम्बर 1356 मे कृषि हेतु आने जाने वाले रास्ता मे जोत लगा दी गई और मिन प्रार्थी को उक्त रास्ता से अपने खेत पर कृषि हेतू पैदल व साधन से आने जाने के लिए रोक दिया गया तो मिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

इधर से मेरे खेत मे आने जाने का कदीम से रास्ता रहा है। आपने पहले कभी भी रास्ता को बन्द नही किया और अब आपने रास्ता को बन्द क्यो कर दिया गया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि यहा से कोई रास्ता आपके खेत के लिए नही है। यह हमारी खातेदारी की आराजी है। तो मिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि अगर रिकार्ड मे रास्ता नही है तो आप नियमानुसार रास्ता के बदले मेरे खेत मे से भूमि ले ले या रास्ता की भूमि के बदले रकम प्राप्त करले। लेकिन यहां से रास्ता मेरे खेत मे से दे दो तो भी अप्रार्थीगण ने रास्ता देने से साफ इंकार कर दिया इसलिए प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 1356 मे कृषि हेतु आने जाने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक2(24)/विधि 1/2/2010 दिनांक 18.01.2012 राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 18.01.2012 प्रकाशित द्वारा नई धारा 251(क) आर.टी.ए. के तहत खसरा नम्बर 1361/1416 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम पीपली तह0 नीमराना से अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 1361 वाके ग्राम पीपली तह0 नीमराना मे से पुर्व की डोल के सहारे–सहारे 20 फुट चौडा रास्ता कायम किया जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थी सं0 1 व 2 बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो को इंकार करते हुऐ जबाब पेश किया गया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 1356 वाके ग्राम पीपली मे आने जाने का कभी भी रास्ता हम अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1361 वाके ग्राम पीपली मे से नही है। हम अप्रार्थीगण ने अपने खसरा नम्बर 1361 के कदीम से पुख्ता पक्की चारदीवारी लगाई हुई है। प्रार्थी अपने खसरा नम्बर मे खसरा नम्बर 1360 व 1358 वाके पीपली मे से आता–जाता है मौके पर पगडंडी पडी हुई है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 24.06.2025 से स्पष्ट है। इसलिए प्रार्थी, हम अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर मे से कोई रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

तत्पश्चात हमारे द्वारा मौका की वास्तविक स्थिती एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि का क्षेत्रफल की रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना से मंगवाई गई। तहसीलदार नीमराना द्वारा दिनांक 24.06.2025 को पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर इस न्यायालय मे दिनांक 01.08.2025 को पेश की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1356 वाके पीपली तह0 नीमराना मे कृषि हेतु आने जाने के लिए 20 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1361 वाके पीपली मे से कायम किया जाने की घोषणा करने का निवेदन किया गया तथा वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ कथन किया कि अप्रार्थीगण ने अपने खसरा नम्बर 1361 के कदीम से पक्की चारदीवारी लगा रखी है। खसरा नम्बर 1361 मे से कभी भी किसी प्रकार का रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर मे आने जाने का नही रहा है। ना ही मौके पर रास्ता है बल्कि प्रार्थी अपने खसरा नम्बर मे दुसरी तरफ से खसरा नम्बर 1360, 1358 मे से आता है। जैसा की पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार, नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 1356 वाके पीपली तह0 नीमराना मे कृषि हेतु आने जाने का रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

खसरा नम्बर 1361 वाके पीपली तह0 नीमराना मे से नही है तथा प्रार्थी खसरा नम्वर 1361 मे से जिस तरफ से रास्ता की मांग करता है उस तरफ पक्की दीवार का निर्माण होना दर्शित किया गया है तथा साथ ही प्रार्थी के खसरा नम्बर 1356 मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1360, 1358 मे से पगडंडी होना दर्शित किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सावित नही होने के कारण, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य पाया जाता है।

::— आदेश —::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज. अभिधृति अधि. 1955 साबित नही होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 08-10-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले कैम्प मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (कोटपूतली—बहरोड)